INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.	SIGNATURE	REMAR
1.	अधिवक्ताओं की योग्यता	1-2		
2.	अधिवक्ताओं के अधिकार	3-7		
3.	अधिवक्ताओं के कर्त्तव्य	8-21		
4.	बार काउंसिल से सम्बंध	22-26		
5	अधिवक्ताओं के प्रावधान (Sec-37 - 42)	27-35		
6.	विधि परिषद की शक्तियाँ	36		
7.	सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय	37-67		
(i)	सादुल सिंह V/s प्रीतम सिंह	37-39		
(ii)	Re- नंदलाल V/s बलवंत	40-45		
(iii)	U.P. सेल्स टैक्स ऐसोसियेशन	46-48		
(iv)	अधिवक्ता	49-53		
(v)	चन्द्रशेखर V/s राज० बार काउंसिल & अदर्स	54-56		
(vi)	V.C. रंगा स्वामी V/s D. गोपालन & oth.	57-59		
(vii)	भूपेन्द्र कुमार V/s बार ऐसोसियेशन सरगुजा	60-62		
(viii)	हरीश चन्द तिवारी V/s जज	63-67		

30/7/16

अधिवक्ताओं की योग्यता ⇒

(धारा 24) के अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किये जाने के लिए अर्हित तभी होगा। जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है।

वह भारत का नागरिक हो।

उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(i) उपखण्ड (iii) क में जैसा उपबन्धित है। उसमें सिवाय विधि विषय में तीन वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात भारत के किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जिसे भारतीय विधिक परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त है। 12 मार्च सन् 1967 के पश्चात विधि की उपाधि पारित कर ली है।

(ii) अन्य किसी दशा भारत में राज्य क्षेत्र से बाहर के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त की है। यदि इस उपाधि को इस आदि के अनुसार प्रयोजनों के लिए भारतीय विधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(iii) वह ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता है। जो इस अधिनियम राज्य परिषद द्वारा बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

Teacher Sign. ....

Scanned with OKEN Scanner

तथा उसने नामांकन के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क आदि। कोई हो जो राज्य परिषद को संदेय हो . सौ प्चास रु की नामांकन फीस दी हो। इस उपधारा के प्रायोजन के लिए किसी व्यक्ति को भारत के किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त कर उस तारीख से समझा जायेगा। जिस तारीख को उस उपाधि की परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अपनी सूचना पर प्रकाशित किये जाते है। या अन्यथा वह घोषित किया जाता है।

अधिवक्ताओं के अधिकार ⇒

इस अधिनियम की धारा 29 यह स्पष्ट करती है कि केवल अधिवक्ता वर्ग ही विधि व्यवसाय करने का हकदार है। धारा 29 के अनुसार इस अधिनियम और अधीन बनाये गये किन्ही नियमो के उपबन्धो के अधीन रहते हुए नियत बनाये गये किन्ही नियमो नियत दिन से विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक ही वर्ग अर्थात अधिवक्ता होता है।

अतः यह धारा सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिए एक अधिक विधिज्ञ का उपबन्ध करती है। इस धारा के उपबन्धो को पूर्ण करने के लिए समझने के लिए इस धारा को धारा -55 विधमान कुछ विधि अस्सदियो के अधिकारो की सुरक्षा करता है।

मुम्बई और कोलकाता उच्च न्यायालयो के प्लीडर वकील तथा न्यायवादी मुख्तार तथा राजस्व अभिकर्ता व विधि व्यवस्था को जारी रख सकते है।

अतः धारा 55 विधिमान प्लीडर वकील न्यायवादी मुख्तार तथा राजस्व अभिकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करता है। धारा 55 यह उपबन्ध करती है कि अधिनियम मे किसी बात केहोते हुये भी।

(1) प्रत्येक प्लीडर या वकील जो उस तारीख से जिनको अध्याय 4 धारा 29 से उप प्रवृत्तम होता है। ठीक पूर्व उस हैसियत से विधि व्यवसायी

Teacher Sign. ....

अधिनियम 1879 का 187 बाम्बे प्लीडर्स एक्स 1920 का अधि० 17 या अन्य किसी उपबन्धो के आधार पर विधि व्यवसाय कर रहा है। और जो इस अधि० के अधीन है। अधिवक्ता के रूप मे नामांकित किये जाने के लिए चयन नही करता है। या उसके लिए अर्हित नही है।

प्रत्येक मुख्तार जो उक्त तारीख के ठीक पूर्व विधि व्यक्त अधिनियम 1879 या किसी अन्य विधि के उपबन्धो के आधार पर हैसियत मे विधि व्यवसाय कर रहा है। और जो इस अधिनियम के अधीन अभिवक्ता के रूप मे नामांकित किये जाने के लिए चयन नही करता है। उसके लिये अर्हित नही है।

प्रत्येक राजस्व अभिकर्ता जो उक्त तारीख के ठीक विधि व्यवसायी अधि० 1879 या किसी अन्य विधि के उपबन्धो के आधार पर उस हैसियत मे विधि व्यवसाय कर रहा है।

Sec : 30 : के अनुसार :— इस अधिनियम के अधीन रहते हुये प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली मे दर्ज है। ऐसे समस्त राज्य क्षेत्रो मे जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है।

(1) सभी न्यायालयो मे जिनमे उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है।

Scanned with OKEN Scanner

(२) किसी ऐसे अधिकरण या व्यक्ति के लिए समझा की साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है।

(3) किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसे अधिवक्ता उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार है।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 के अनुसार :

इस अधिनियम मे या उस समय प्रस्तुत किसी अन्य विधि मे जैसा आबन्धित है। उसके सिवाय कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात किसी न्यायालय मे या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने का हकदार तब तक नही होगा। जब तक वह इस अधि॰ के अधीन अधिवक्ता के रूप मे नामांकित नही है। उपसंजात होने की अनुज्ञा दे सकेगा।

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। तथा उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट शक्ति देती है। कि वह ऐसी शर्तों को अधिरोपित करते हुए नियम बना सकेगा। जिनके अधीन रहते हुये किसी अधिवक्ता मे उच्च न्यायालय मे और उसके अधीनस्थ न्यायालयो मे विधि व्यवसाय करने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा।

एक अन्य वाद मे दिल्ली उच्च न्यायालय मे निर्णय दिया एक अन्य वाद मे दिल्ली उच्च

Scanned with OKEN Scanner

ने निर्णय किया है। कि अधिवक्ता को सुनवाई का अधिकार स्वयं न्यायालय द्वारा विनियमित किया जाता है। किसी विशिष्ट मामले मे अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थित या प्रस्तुत होना न्यायालय के मत अनुचित है तो वह उस मामले मे उसे उपस्थित होने से रोक सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

P.C. JOSE V/S Nand Kumar ⇒

उपयुक्त वाद मे न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है। कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 23, 29 व 33 के अनुसार न्यायालय कक्ष मे विधिज्ञ के सदस्य को कतिपय विशेषाधिकार न्यायालय का ऑफीसर होने के नाते प्राप्त है। कोई भी वादी या स्वयं संचालित कर रहा है। केवल इस आधार पर न्यायालय मे बैठने के अधिकार का दावा नही कर सकता है।
कि संविधान के मत में यह महल महत्व नही रखता है कि संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है।

न्यायालय के मत मे यह महत्व नही रखता कि अधिवक्ता की मद्द को न्यायालय कक्ष मे बैठने के सम्बन्ध मे न्यायमिकता देने के निर्णय कोई संविधिक उपबन्ध नही है।
~~यह कथन ध्यान रखना उपयोगी है। यह न्यायधीश या न्यायालय अधिकारी या साक्षी इत्यादि को न्यायालय कक्ष मे बैठने की प्राथमिकता देने के विभिन्न कोई संविधिक उपबन्ध नही है।~~

Scanned with OKEN Scanner

Duties of Advocates

अधिवक्ताओ के कर्तव्य

* न्यायालय के प्रति कर्तव्य
  * ~~मुव~~ मुवक्किल के प्रति कर्तव्य
  * प्रतिपक्ष के प्रति कर्तव्य
  * सहयोगियो के प्रति कर्तव्य
* अवशिष्ट कर्तव्य ⇒

* न्यायालय के प्रति कर्तव्य ⇒

भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनुभाग के अनुसार अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य है।

नियम 1 के अनुसार अपने वाद को प्रस्तुत करने एवं न्यायालय के समक्ष अन्य कार्य करते समय अधिवक्ता को मर्यादा और सम्मान के साथ आचरण करना चाहिये।

अधिवक्ता किसी का दास नही होता है। और जब किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायत का उचित आधार बनता है। तब यह उसका कर्तव्य और अधिकार होगा कि वह उचित प्राधिकारी के यहाँ उसके विरुद्ध शिकायत करे।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 2: के अनुसार अधिवक्ता का यह कर्तव्य होता कि वह न्यायालय के प्रति आदर पूर्ण दृष्टिकोण अपनाए। वह सदैव देगा जो न्यायिक अधिकारी की मर्यादा तथा स्वतन्त्र समुदाय के अस्तित्व के लिये आवश्यक है। इस न्यायिक अधिकारी की मर्यादा कायम रखना अधिवक्ता की प्रमुख वृत्तिक कर्तव्य है।

नियम 3: के अनुसार कोई भी अधिवक्ता सदैव अनुचित साधनो का प्रयोग करके न्यायालय के निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। किसी सम्बंधित लम्बित वाद के विषय मे यह नियम किसी न्यायधीश से निर्णय सूचना की मनाही करता है।

नियम 4: के अनुसार अधिवक्ता अपने अच्छे प्रयास से अपने मुव्वक्किल की कपटपूर्ण और अनुचित कार्य करने से जो न्यायालय के प्रति प्रतिपक्षी अधिवक्ता के प्रति अथवा विरोधी पक्षकार के विरुद्ध होना रोकेगा। व्यवहार अधिवक्ता को स्वयं उनके सम्बन्ध मे नही करना चाहिए। जो मुव्वामिकल ऐसा अनुचित कार्य करने से विरत नही होता। अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नही करेगा अधिवक्ता अपने मुवक्किल का प्रवक्ता नही होता। और समाचार मे वह स्वयं अपना निर्णय लेगा। वह अपने विवेक से कार्य करेगा। वह अपने अभिवचन में अभिद्र भाषा का प्रयोग नही करेगा और न्यायालय में बहस के दौरान आदेशात्मक भाषा का त्याग करेगा। इससे अधिवक्ता का न्यायालय के साथ आपसी सौहार्द कायम रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

नियम 5: के अनुसार अधिवक्ता सदैव विहित पोशाक में ही न्यायालय में प्रस्तुत होगा। और उसकी आकृति सदैव प्रस्तुत करने योग्य होनी चाहिए।

नियम 6 के अनुसार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित किसी न्यायालय प्राधिकारी अथवा अधिकरण के कोई अधिवक्ता उसी स्थिति में उपस्थित कार्य अभिवचन अथवा बहस नहीं करेगा। जबकि न्यायालय के स्वामी सदस्य या किसी सदस्य के साथ उसके पिता, दादा, पुत्र, पुत्र, पौत्र, चाचा भाई भतीजा, पति, पत्नी, माँ, पुत्री, बहन, चाची, भतीजी, ससुर, दामाद, देवर, पुत्रवधु या भाभी का सम्बन्ध हो।

नियम 7 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता, यदि वह किसी समिति का सदस्य हो। ऐसे संगठन में संस्था अथवा निगम की कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो। ऐसे संगठन संस्था अथवा नियम के पक्ष में या विरोध में किसी न्यायालय अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा. कार्य समिति के अन्तर्गत वह समिति अथवा व्यक्तियों का निकाय आता है। जिसमे संगठन, संस्था समाज या किसी नियम के कार्यों कलापों का सामान्य प्रतिबंध निहित है। परन्तु यह नियम न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने वाले सदस्य के सम्बन्ध मे लागू

Teacher Sign. ....

नही होता साथ ही वह विधिज्ञ परिषद निगमित विधि सोसायटी अथवा विधिज्ञ संगठन के निमित्त निशुल्क उपस्थित होने वाले सदस्य के मामलों मे लागू नही होगा।
विधिज्ञ परिषद का न्यायालय विहित करे किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी पोशिया अथवा गाउन नही पहनेगा।

CASE 1: Fourts of Hs on Motion Shaheasher Singhar

के बाद में यह अधिनियम किया गया है। जो कि नियमो की सलाहकारी प्रकृति का है। उसके द्वारा कोई अधिवक्ता मजिस्ट्रेट की सिविल प्रकृति संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत कलंकित करने के उद्देश्य से सूचना देकर नैतिकता उपयुक्तता तथा शालीनता का उल्लंघन करके न्यायालय की मानहानि नही कर सकता ऐसे मामले मे अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल के हितो की निष्ठा का बचाव नही किया जा सकता।

Case 2: Daheodar Das Aggarwal R. Badsila ⇒

के बाद यह धारण किया गया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (ग) के अन्तर्गत वृत्तिक आचार और शिष्टाचार के मामलो से सम्बंधित नियम के अनुपस्थित मे किसी अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के कागजात पर जो उसे लम्बित वाद के दौरान सुपुर्द किये गये हो। अपनी फीस के लिए धारणाधिकार प्राप्त है।

Teacher Sign. ....

CASE 3 : DC : Saxena & chief Justice of India

के वाद मे उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम किया है। कि किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को अपने अभिकथन मे किसी न्यायधीश या न्यायालय के विरूद्व अश्लील आरोपो का न्यायालय के के समक्ष प्रस्तुत नही करना चाहिये। जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और शिष्टाचार कायम रखा जा सके अन्यथा न्यायधीश की ख्याति और प्रतिष्ठा लुप्त हो जायेगी और न्यायालय की स्वतन्त्रता बुरी तरह से प्रभावित होती।

CASE: UP SALES TAXSERVICE ASSOUATION TAXATION BAR ASSOUATION

के बाद मे उच्चतम न्यायालय मे यह धारणा किया है कि यदि कोई अधिवक्ता अभी व्यंग (Jisxeasm) के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उसके कार्य की विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल माना जायेगा।

मुवक्किल के प्रति कर्तव्य ⇒

भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनु भाग II के अन्तर्गत अधिवक्ताओ के अपने मुवक्किलो के प्रति कर्तव्यो का वर्णन किया गया है। अधिवक्ताओ के अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य निम्नलिखित है।

नियम 11: के अनुसार अधिवक्ता अपनी और

वाद की प्रवृति के अनुसार अपनी फीस लेकर कर्तव्यो का वर्णन किया गया है। पक्षकार उस स्थिति मे स्वीकार करने को बाध्य वह पक्षकार ऐसे मामलो से सम्बन्धित है। जो उस न्यायालय या न्यायिकरण या ऐसे अधिकारी मे या उसके समक्ष जिसमे अभ्यास करने का वह प्रस्ताव करता है। विशिष्ट परिस्थिति यो मे अधिवक्ता पक्षकार लेने से मना सकता है।

नियम 12 के अनुसार किसी यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है। तो सामान्यतः बिना पर्याप्त कारण के और मुवक्किल को बिना युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना दिये पैरवी करने से इनकार नही कर सकता। पक्षकार स्वीकार करने के पश्चात बिना कारण के कोई अधिवक्ता अपने के वाद से अलग नही कर सकता। यदि वह वाद से अलग होना चाहता है तो इसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। वाद से अलग होने पर उसे फीस के उस भाग को वापस करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिससे उसे उपार्जित किया है

नियम 13 : के अनुसार किसी अधिवक्ता को ऐसे मामले की फीक पक्षकार नही करना चाहिये। जिसके पास विश्वास का कारण है। कि उसमे वह साक्षी हो सकता है। यदि वह किसी वाद मे अधिवक्ता बन जाता है। वह वाद्य संबंधी प्रश्न के सम्बन्ध मे साक्षी है। तो ऐसी दशा मे उसे और वक्ता के रूप मे उपस्थित नही होना चाहिये।

बशर्ते वह अपने मुवक्किल के हितो को खतरे मे डाले बिना अवकाश ले सकता है। अथवा अपने को उससे अलग कर सकता है।

* नियम 14 के अनुसार कोई अधिवक्ता अपनी नियुक्ति के दौरान अपने मुवक्किल के अपने सम्बन्ध और विवाद मे किसी हित जो कि उसकी नियुक्ति या उसकी नियुक्ति को जारी रखने पर मुवक्किल के निर्णय प्रभावित करने के लिये आवश्यक व सम्भावित है।

* नियम 15 : के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है। कि वह अपने मुवक्किल के लिये हितो की रक्षा निर्भय होकर और सम्मान जनक साधनो मे बिना स्वयं या किसी अन्य को अप्रिय परिणाम होने को महत्व देते हुये करे। उसे अधिनिक (अभियुक्त) के प्रति अपनी व्यक्तिगत तत्व पर ध्यान दिये बिना उसकी प्रतिरक्षा इस बात को मस्तिष्क मे रखकर करना चाहिये कि उसकी वफादारी विधि के प्रति है। इसके अनुसार बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी व्यक्ति को दोषी या मुलजिम नही ठहराया जा सकता है।

नियम 21 : के अनुसार कोई भी अधिवक्ता किसी अनुयोग्य दावा मे हित अथवा हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्रय या पुरर्याचार या अवैध व्यापार अथवा अनुदाय नही करेगा। यह नियम स्टाक (STOCK) अंश (SHARE) शपथ पत्र सरकारी प्रतिभूति लिखित जो विधि या रूढी के

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार परकाम्य है। तथा माल के स्वत्व के वाणिज्यक दस्तावेजो के मामलो मे लागू नही होता।

नियम 23: के अनुसार कोई भी अधिवक्ता मुवक्किल द्वारा के प्रति अपने निजी दायित्व उसके नियोजन के दौरान उत्पन्न नही हुआ है। उसे अपको मुवक्किल द्वारा देय फीस को समायोजित नही कर सकता।

नियम 22 के अनुसार यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल को कोई धन प्राप्त करता है। वह उसे दिया जाता है। इस आशय की सूचना शीघ्र मुवक्किल को देगा। यदि मुवक्किल इस धन की माँग करता है तो उसे चाहिये कि वह धन मुवक्किल को तुरन्त दे दे। यदि माँग किये जाने पर वह उस धन को अपने मुवक्किल को नही लौटाता है। तो वह व्यवसायिक उपचार का दोषी माना जाता है।

तथा मुवक्किल के माँगे जाने पर लेखे की एक प्रति माँगी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

CASE: R. Biharilal V/S Kadayya Lal:

के वाद मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अधिवक्ता द्वारा गिरवी पर धन देने के अपने व्यापार के दौरान किसी सम्पति को बन्धन मे लेना इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम 26 का उल्लंघन होने के कारण विधि द्वारा निषिद्ध है। तथा प्रत्येक लोक नीति के विरुद्ध भी है।

CASE 2 V.P. Kumar Belu V/S Bar council of India

के वाद मे उच्चतम न्यायालय मे अभिनिर्धारित किया है। कि कर्तव्य निर्वहन मे जान बूझ कर की गयी अपेक्षा अवचार का उदाहरण कहता है। और निःसन्देह वृत्तिक उपचार है। उसी प्रकार किसी अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल या उसके मामले मे कर्तव्य की अवहेलना वृत्तिक अवचार माना जायेगा। परन्तु नैतिक अक्षमता के बिना की गई अपेक्षा वृत्तिक अवचार नही मानी जायेगी

CASE 3: V.C. Rang Kuraiya V/S D. Gopalan.

के वाद मे न्यायालय ने मत प्रकट किया कि अधिवक्ता का अपना मुवक्किल से सम्बन्ध पूर्ण तथा व्यक्तिगत होता है। और उसमे सन्निविष्ट व्यक्तिगत विश्वास निहित होता है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिफल के प्रति कर्तव्य ⇒

प्रतिपक्ष के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य के विषय मे सु० पी० सी० शिवस्वामी अय्यर ने निम्नलिखित अवलोकन किया है।

मार्गदर्शक अधिवक्ताओ को यह सदैव याद रखना चाहिए। कि दूषित रीति से प्राप्त की गई विजय उपयुक्त नही होती यदि आप अपने प्रतिपक्षी अधिवक्ता को सुनवाई का पूर्ण तथा न्यायोचित अवसर देते है। उसके उपरान्त आप को उसको पराभूत करते है। तब आप प्रतिष्ठा के लिये अधिकृत होते हो। परन्तु आप किसी शब्द कार्य यय या अन्य रीति से अपने प्रतिपक्षी अधिवक्ता को न्यायोचित सुनवाई मे बाधा डालकर विजय पाते है। तो वह कलंकित होता है। और ग्राह्य नही होता। किसी भी स्वाभिमानी अधिवक्ता को इसकी सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रतिपक्षी पक्षकार के प्रति अधिवक्ता का कर्तव्य समता अथवा व्यवहार मे न्यायोचित पर आधारित होता है।

Scanned with OKEN Scanner

सहयोगियो के प्रति कर्तव्य ⇒

भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनुभाग IV मे अधिवक्ता के अपने सहयोगी के प्रति कर्तव्यो का वर्णन किया गया है। कि नियम 36,37,38 तथा 39 के अन्तर्गत अधिवक्ता का अपने सहयोगियो के प्रति कर्तव्यो का उल्लेख किया गया है।

* नियम 36 के अनुसार कोई अधिवक्ता कार्य हेतु याचना अथवा विज्ञापन नही करेगा। ऐसा वह प्रत्यक्ष रूप तथा परोक्ष रूप से किसी भी रूप मे नही करेगा विज्ञापन चाहे परिपत्र दलाल निजि सूचनाएँ, निजी संबन्धो अनावश्यक साक्षात्कार प्रेरित करने वाले समाचार पत्रो मे टिप्पणीयाँ अथवा जिस मामले मे अधिवक्ता के रूप मे नियुक्त है। उससे सम्बन्ध मे फोटो खिंचवाना जो माध्यम से हो वर्जित है। उसके नाम का साइन बोर्ड युक्तियुक्त आकार का होना चाहिये। साइन बोर्ड नाम की पट्टी या लेखन सामग्री से ऐसा संकेत नही मिलना चाहिए कि वह किसी विधिज्ञ परिषद अथवा किसी संस्था की सदस्यता अध्यक्ष है। अथवा वह रह रहा है। अथवा विशिष्ट व्यक्ति या मामले से जुड़ा है। अथवा विशिष्ट कार्य के पक्ष मे है। अथवा वह विधि का न्यायाधीश रह चुका है।

* नियम 37 : के अनुसार कोई भी अधिवक्ता किसी अभिकरण द्वारा व्यवसाय करने मे सहायता के रूप मे अपने नाम के प्रयोग की अनुमति प्रदान करेगा।

नियम 38 : उपबन्ध करता है, कि अधिवक्ता नियमो के अन्तर्गत कर योग्य फीस से कम फीस स्वीकार नही करेगा। जबकि मुवक्किल उसका भुगतान करने समर्थ है नियम 39 के अन्तर्गत यदि किसी मामले मे नियुक्त किया गया अधिवक्ता वकालत नामा उपस्थित होने दाखिल कर दिया है, तो बिना उसकी सम्मति के कोई भी अधिवक्ता उस मामले मे उपस्थित नही होगा। ऐसे मामले मे यदि सम्मति प्रस्तुत की जाती है, तो वह न्यायालय से प्रार्थना करेगा। और न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही न्यायालय उपस्थित होगा।

धारा 39 के उद्देश्य अपने सहयोगी अधिवक्ता के बीच अधिवक्ता धारा सद्भाव कायम करता है। यह नैतिक अवचार की बात है कि अधिवक्ता के बीच अधिवक्ता द्वारा सद्भाव आवश्यक है। स्वच्छ न्याय प्रशासन के लिये ऐसे कार्य न करें उसका तात्पर्य यह है। कि अधिवक्ता को अपने सहयोगी अधिवक्ता को अपने कर्तव्यों को वह मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

अनशिष्ट कर्तव्य

सदस्यता शुल्क अदा करने का कर्तव्य :-

कर्तव्यो का वर्णन भारतीय विधिज्ञ परिषद नियमावली के अनुभाग IV-A किया गया है।

नियम 40 के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद की विहित सदस्यता शुल्क की निश्चित धन राशि अदा करेगा।

नियम 41 (1) के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद को भारतीय विधिज्ञ परिषद के खाते मे प्रत्येक माह के अन्त मे जमा करेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद इस राज्य के अधिवक्ताओ के कल्याण के लिये एक अलग अधिवक्ता कल्याण निधि के खाते मे बैंक मे उस धनराशि को जमा करेगा।

~~नियम 41 (2) के अनुसार अधिवक्ता कल्याण निधि खाते मे भारतीय विधिज्ञ परिषद 20) धनराशि "भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता कल्याण निधि मे जमा करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय विधिज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा जो अधिवक्ताओ के कल्याण के लिये होगा।~~

नियम 41 (3) के अनुसार अधिवक्ता कल्याण निधि खाते मे भारतीय विधिज्ञ परिषद 20) धनराशि भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता

Scanned with OKEN Scanner

कल्याण निधि मे जमा करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय विधिज्ञ शेष 80% राशी जो उस राज्य के अधिवक्ता के कल्याण योजनाओ के लिये खर्च होगा। और वह प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट प्रेषित करेगा। उपरोक्त नियम अधिवक्ता के विभिन्न वर्ष रिपोर्ट प्रेषित करेगा। उपरोक्त नियम अधिवक्ता के विभिन्न कर्तव्यो जिन्हे उसे अपने विधि व्यवसाय के दौरान पूरा करना होता है। का वर्णन करता है। उपरोक्त कर्तव्यो का वहन करके अधिवक्ता न केवल विधि व्यवसाय की गरिमा को रख सकता है। अपितु समाज कल्याण के कार्यो मे अपनी विशिष्ट सेवाये भी अर्पित कर सकता है।

Ranjna
30/7/16

Scanned with OKEN Scanner

BENCH BAR RELATIONS

अधिवक्ता एवं न्यायाधीश के मध्य सहकारी सम्बन्ध

न्यायपीठ एवं अधिवक्ता वर्ग एक ही पंख की दो भुजाये है, और जब तक वे दोनो पारस्परिक समाजस्य मे कार्य नही करेगी जब तक न्यायालयो द्वारा न्याय प्रशासन उचित रूप से सम्पन्न नही हो जायेगा लेकिन प्राय दोनो तरफ से अधिक्रमण होता है। जिससे उनके सम्बन्धो मे कठोरता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कभी-कभी अधिवक्तागण ऐसे कथन व्यक्त करते है, जो न्यायालय को उचित प्रतीत होते यद्यपि ऐसे कथन न्यायालयो के प्रति अवमान कारित करने अथवा न्यायालयो की कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न करने के लिये किये जाते है। न्यायालय के अधिकारी होने के कारण अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य होता है, कि वे न्यायालय के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण कायम रखें।

अधिवक्ताओं को न्याय प्रशासन मे सहायता करने के लिये निर्णयज- विधि इकट्ठा करना होता है। जिसके द्वारा वे न्यायालयो को समुचित निर्णय लेने मे सहायता करते है। अपने मामलो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा मामले मे बहस करते हुए उनसे आत्म सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार तथा न केवल न्यायालय की

Scanned with OKEN Scanner

कार्यविधि के दौरान अपितु न्यायालय के बाहर भी प्रकट होता है। उन से यह अपेक्षा नहीं की जाती है। कि वे अवैध तथा अनुचित साधनों से न्यायाधीशों को प्रभावित करेंगे। जिससे न्यायहित से खतरा उत्पन्न हो। अधिवक्ताओं के अच्छे आचरण के मुवक्किल को न्यायालय से न्याय दिलाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। अधिवक्ताओं की विधिक योग्यता नहीं अपितु उनका अच्छा आचरण भी न्यायालय मे सफलता प्राप्त करने की दिशा मे महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अधिवक्ताओं के कथन न्यायालयों को प्रभावित करते है। इसलिए इनका नैतिक तथा विधिक दायित्व है कि सौम्य निष्पक्ष तथा न्यायालय के प्रति सुशील रहें। इसका यह तात्पर्य नहीं है। कि वे न्यायाधीश के अनुचित व्यवहार के प्रति समर्पण कर जाये अधिवक्ताओं का यह विधिक अधिकार है। कि वह न्यायाधीश के अनुचित व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करके और अपनी व्यवहारों का न्यायालय के उच्चतर अधिकारियों को सूचित करें।

इसलिए जबकि अधिवक्ताओं को न्यायालय की गरिमा तथा मर्यादा बनाये रखना है, वहीं उन्हें समाज तथा वादकारियों के मस्तिष्क मे न्यायालय की गरिमा नहीं गिरने देता है। इस संदर्भ मे भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ताओं के लिये उनके सहयोगी मुवक्किल तथा न्यायालय के प्रति सत्यव्यवहार के सम्बन्ध मे अमुख नियम निर्मित किये गये है। भारतीय विधिज्ञ परिषद

Teacher Sign. ....

द्वारा निर्मित नियमो द्वारा नियमो द्वारा निर्मित नियमो का इस पुस्तक के अध्याय विधि व्यवसाय की आचार संहिता के अन्तर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है। जिनके अनुसार आचरण करना अधिवक्ताओ का विधिक तथा दायित्व है। किसी न्यायाधीश का अधिवक्ताओ के प्रति सबसे अन्तिम महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है। कि बहस के दौरान तथा गवाहो के परीक्षण के समय अधिवक्ता से टोक टोक न करें। न्यायाधीश को चाहिये कि वह तक अधिवक्ता सुसंगत रूप से तथा उद्देश्य से साथ मामलो मे बहस कर रहा है। उसके कार्य मे हस्तक्षेप न करें।

Scanned with OKEN Scanner

DATE : ..../..../.......
PAGE : 25

CASE 1: Shri Vinay Chakra Mishra :
के वाद मे उच्चतम न्यायालय मे अभिनिर्धारित किया है कि आत्म संयम सुस्पष्ट मर्यादित तथा न्यायालय के प्रति सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण को अपनाना मामले के सही तथ्य विधि व्यवसाय का अतिक्रमण न करना है. छिपाना अथवा उनको विकृत रूप न बनाना या उन्हे बिना सुसज्जित किये पेश करना, उन्हे वकील के आवश्यक गुण माने जाते है।

Case 2: Mahantra Hukumat Rai v/s Emperor:
के ऐतिहासिक वाद मे लाहौर उच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे। जिनके बम्बई न्यायालय ने बार काउंसिल

State of Maharashtra v/s Shri Deshpandy.
के वाद मे मान्यता प्रदान किया था वे सिद्धान्त न्यायालय अव मान अधिनियम 1971 के प्रावधानो से प्रभावित नही हुये। इन दोनो वादो के तथ्य समान थे। जिसमे मजिस्ट्रेट के कुछ वादो के तथ्य समान थे। जिसमे मजिस्ट्रेट के कुछ कथनो के प्रति अधिवक्ताओ ने प्रेम व्यक्त किया था और अधिवक्ताओ द्वारा उच्चारित कुछ कथनो पर मजिस्ट्रेट ने अपेक्षा व्यक्त किया था लाहौर उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे।
कोई कठोर और तीव्र नियम प्रतिपादित करना कि कौन सा कथन बिना व्यक्तिगत हानि के किसी

Teacher Sign. ....

अधिवक्ता को व्यक्त करना चाहिए। जब तक वह न्यायालय को सम्बोधित कर रहा है। और साधारण रूप से कौन सा कथन सहन करने योग्य है। आसान कार्य नहीं है। किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय मे उचित प्रभाव से व्यवहार करना चाहिये। और अपने सामर्थ्य तथा समय को न्यायालय की गरिमा बनाये रखना प्रयोग करना चाहिये और अपने अच्छे सामर्थ्य का समय को न्यायधीश को भी यह परस्पर दायित्व है। कि वह अधिवक्ताओ के प्रति अशिष्ट न हो जिसमे वह अधिवक्ता अपने नैतिक कार्य मे सव्यवहार करता होता है। किसी भी कीमत पर त्याग दिया जाना चाहिये। न्यायपीठ द्वारा तथा अधिवक्ता वर्ग दोनो एक यन्त्र की दो भुजाऐं है।

विधिशास्त्री प्रो० आसबई के द्वारा :

"अति अधीनस्थ अधिवक्ता वर्ग न्याय प्रशासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। उसी प्रकार अशिष्ट अधिवक्ता जो न्यायालय के समक्ष अपमान करने का साहस करते है के द्वारा डराया गया दुर्बल न्याय पीठ न्याय प्रशासन के लिए अभिशाप होगा।

Scanned with OKEN Scanner

Provisions for Advocate
अधिवक्ताओ के प्रावधान"

Sec 37 भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील :

किसी राज्य विधिज्ञ की अनुशासन समिति की धारा 35 के किये जाने आदेश या राज्य के महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित कोई अपील व्यथित आदेश की संसूचना की तारीख से साठ के दिन के भीतर भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील कर सकेगा।
प्रत्येक ऐसी अपील की सुनवाई भारतीय समिती का कोई भी आदेश व्यक्तिगत व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना उसके अन्तर्गत राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

Sec 38 :

उच्चतम न्यायालय को अपील :

भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति द्वारा धारा 36 या धारा 37 अधीन या यथास्थित भारत के महान्यायवादी या सम्बन्ध राज्य के महाधिवक्ता द्वारा दिये गये आदेश कोई व्यथित उस तारीख से साठ दिन के भीतर जिसको वह संसूचित किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय उस पर आदेश पट जिसके अन्तर्गत भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन

Scanned with OKEN Scanner

समिति द्वारा अधिनियम दण्ड मे परिवर्तन करने का आदेश भी हो। पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

Sec 40:

आदेशो का रोका जाना :

(i) धारा 37 या 38 के अधीन की गई कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो। रोके जाने के रूप मे प्रवर्तित नहीं होगी। किन्तु यथास्थिति भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति या उच्चतम न्यायालय पर्याप्त होने पर ऐसे निबन्धो और शर्तो पर जो ठीक समझे उस आदेश को प्रभावी होने से रोके जाने का निर्देश दे सकेगा।

(ii) जहाँ धारा 37 या 38 के अधीन उस आदेश मे अपील करने के लिये अनुज्ञात समय कि पर्याप्त के पूर्व आदेश को रोकने के लिये अनुपात समय को समाप्ति के लिये आवेदन किया जाता है। वहा यथास्थिति राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति पर्याप्त होने पर ऐसे निबन्धो और शर्तो पर जो ठीक समझे उस आदेश को प्रभावी होने से रोकने के लिए निर्देश दे सकेगी।

Scanned with OKEN Scanner

परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 और 12 का लाया जाना :

परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का 36) की धारा 5 और धारा 12 के उपबन्ध यथा संभव धारा 37 और धारा 38 के अधीन की अपीलों का लागू होंगे।

Sec 41 : किसी मामले की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को उस समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर भी अनुशासन समिति यदि ठीक समझे तो इस प्रकार नियम तारीख को कार्यवाहियाँ कर सकेगी।

Sec 42 :

भारतीय विधिज्ञ परिषद और अन्य न्यायालय की शक्तियाँ ⇒

धारा 42 के उपबन्ध भारतीय विधिज्ञ परिषद किसी विधिज्ञ परिषद को नामांकन समिति निर्वाचन वहाँ उस दण्ड का अभिलेख धारा 22 के अधीन उससे ऐसे अधिवक्ता को दिया में जिसका नाम किसी राज्य नामावली में दर्ज है। उस नामावली में उसके नाम के सामने दर्ज किया जायेगा) और जहाँ किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसार से हटाने का आदेश दिया जाता है।

Sec 42: अनुशासन समितियों शक्तियाँ : ⇒

(i) विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समितियों के मे लि महत्वपूर्ण सम्बन्ध मे वही शक्तियाँ होगी जो करती है। कि जहाँ किसी शिकायत का प्राप्ति पर या अन्य किसी राज्य पर विधिज्ञ धारा 35 की उपधारा (2) प्रावधान करती है। कि राज्य विधिज्ञ परिषद य की अनुशासन समिति मामले को सुनवाई के लिये तारीख नियत करेगी। और उसको सुनवाई के लिये तारीख तारीख नियत करेगी। और इसकी सूचना सम्बन्ध सम्बन्ध अधिवक्ता को धारा 35 की उपधारा के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मे निम्न आदेशों मे से कोई आदेश कर सकेगी।

(क) शिकायत को खारिज कर सकेगी। जहाँ राज्य विधिज्ञ परिषद को प्रेरणा पर

साक्षियों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ∴
विधिज्ञ परिषद की किसी अनुशासन समिति के समक्ष की सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1868) का 45 की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ मे न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी। और प्रत्येक ऐसा

Scanned with OKEN Scanner

अनुशासन समिति CODE of CRIMINAL PROCEDURE (1898) की धारा 480 धारा 482 और धारा 485 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझी जायेगी अनुशासन समिति के समक्ष किसी मामले की सुनवाई के लिये नियम की गई तारीख को उस समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर भी अनुशासन समिति यदि ठीक समझे तो इस प्रकार नियत तारीख को कार्यवाहियाँ कर सकेगी।

* वृत्तिक एवं अन्य अवचार का तात्पर्य :

Sec 35 : अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अध्याय 5 मे अधिवक्ता के आचार का वर्णन किया गया है। इसमे अधिवक्ता के वृत्तिक एवं अवचारों के लिए दण्ड का उपबन्ध किया गया है। धारा 35 के प्रावधान महत्वपूर्ण है। धारा 35 की उपधारा प्रावधान करती है कि जहां किसी राज्य पर विधिज्ञ परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है। धारा 35 की उपधारा (2) प्रावधान करती है कि राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति मामले की सुनवाई के लिये तारीख अधिवक्ता को धारा 35 की उपधारा 3 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति सम्बन्ध अधिवक्ताओं की सुनवाई का अवसरों मे से कोई आदेश कर सकेगा।

(क) शिकायत को खारिज कर सकेगा।
जहां राज्य विधिज्ञ परिषद को प्रेरणा पर

कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी कि वहां यह निर्देश दे सकेगी कि कार्यवाहियाँ फाईल कर दी जायें।

(ख) अधिवक्ता को दण्ड दे सकेगी।

(ग) अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से उतनी अवधि के लिये निलंबित कर सकेगी। जितनी वह उचित समझे।

(घ) अधिवक्ताओं का नाम अधिवक्ताओं को राज्य नामावली मे हटा सकेगी।

Sec की उपधारा ⇒

धारा 35 की उपधारा

यह उपबन्ध निर्धारित करती है कि जहां कोई अधिवक्ता उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन विधि व्यवसाय करने से निलंबित कर दिया गया है। कि वहाँ वह निलंबन की अवधि के दौरान भारत के किसी न्यायालय मे या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने से वर्जित किया जायेगा।

न्यायालयों मे विभिन्न मामलो मे अवचार शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है।

Scanned with OKEN Scanner

महबूब अली खाँ : के वाद मे आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय मे धारणा किया है। कि अवचार शब्द का तातपर्य स्वच्छा से दोष पूर्ण उद्देश्य से किया गया कार्य है। जिसमे आवृतिक कार्य भी आते है। भले ही वे कार्य आन्तरिक रूप से संदोष न हो।

के० वी कृष्णा राव : के वाद मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वृत्तिक अवचार से तातपर्य गरिमापूर्ण अधिवक्ताओ द्वारा उचित रूप से विपरीत असम्मानित अथवा निन्दनीय कार्य से है। इसके अन्तर्गत लापरवाही से किये गये भले ही वह गम्भीर कार्य हो सम्मिलित नही होते।

वृत्तिक अवचार के अन्तर्गत मुवक्किल के विश्वास का हनन करना आता है। इसमे अन्तर्गत किसी भी साधन से बेईमानी करना या न्यायालय विपक्षी पक्षकार या उसके अधिवक्ता को किसी व्यवहार से धोखा जो किसी सद्व्यवहार से उस व्यवसाय की निन्दा करके अथवा उसके सम्बन्ध मे जनता के अनुकूल विचारो के महत्व चित्त से उतार देना आता है।

Case 1 : R.D Saxena Balaram Prasad Sharma :
के वाद मे उच्चतम न्यायालय के अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई मुवक्किल किसी अमुख

अधिवक्ता की सेवा को जारी रखना चाहते है। तो अधिवक्ता का यह दायित्व होगा कि विधि व्यवसाय की गरिमा को ध्यान मे रखकर उसका पत्रपक्ष उसे लौटा दे। यह न केवल अधिवक्ता का विधिक कर्तव्य है। अपितु उसका नैतिक दायित्व भी है। इसलिए मुवक्किल का पक्षपत्र लौटा दें, इनकार करना विधि 1961 धारा 35 के अन्तर्गत वृत्तिक अपचार करेगा।

Case 2 : I Ratnam Kanekasam :

के वाद मे उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। कि अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्यो तथा उनके अन्य कर्तव्यो से स्पष्ट अन्तर मे है। प्रथम प्रकार के उसके कर्तव्य पालन के मामले मे न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग अधिवक्ता का वृत्तिक अपचार मानकर उचित रीति से करेगा और परिवादी को दण्ड न्यायालयो के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के लिये बाध्य नही करेगा।

Case 3 : P.D. Gupta Ram Hastc :

के वाद मे एक अधिवक्ता ने विवादित सम्पत्ति का कुछ भाग अपने मुवक्कल पक्ष पर खरीदा और उसको अधिक मुल्य पर किसी तृतीय पक्ष को बेच दिया भारतीय विधिज्ञ परिषद की

Scanned with OKEN Scanner

अनुशासन समिति ने उसे वृत्तिक अवचार का दोषी पाया और एक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय से वर्जित कर दिया।

राज्य विधिज्ञ परिषद का वृत्तिक अथवा अन्य अवचार के लिये दण्ड देने की शक्ति :

अधिवक्ता अधि० 1961 की धारा 35 के अनुसार जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा किसी राज्य विधिज्ञ परिषद को यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी रहा है वहाँ वह मामले को अपनी अनुशासन समिति में निपटने के लिये निर्दिष्ट करेगी। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 1961 की धारा 6 (ग) के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद का दायित्व निस्तारण करना है।

DATE : ..../..../........
PAGE : 36

राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति की शक्तियाँ :

अधिवक्ता अधि॰ 1961 की धारा 35 की अनुशासन समिति सम्बन्ध अधिवक्ता का महा अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित आदेशो मे से कोई आदेश कर सकेगी।

(क) शिकायत खारिज कर सकेगी, जहाँ विधिज्ञ परिषद की प्रेरणा पर कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई थी वहाँ यह निर्देश दे सकेगी कि कार्यवाही फाइल कर दी जाये।

(ख) अधिवक्ता को दण्ड दे सकेगी।

(ग) अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से उतनी अवधि के लिये निलंबित कर सकेगी जितना कि वह ठीक समझे।

(घ) अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नियमावली नामावली मे से हटा सकेगी।

18/8/15

Teacher Sign. ....

DATE: ..../..../....
PAGE: 22

Leading Cases. 1

वृत्तिक एवं अन्य अवचार सम्बन्धित महत्वपूर्ण

CASE 1:

SHARDUL SINGH V/S PREETAM SINGH & BROTHERS.

FACTS: दिल्ली विधिज्ञ परिषद् ने 29-11-1984 को प्रथम प्रतिपक्षी प्रीतम सिंह को वृत्तिक अवचार का दोषी होने के कारण तीन वर्ष की अवधि के लिये विधि व्यवसाय से निलंबित कर दिया था प्रथम प्रतिपक्षी प्रीतम सिंह ने उच्चतम न्यायालय मे अपील संस्थित किया और दिल्ली विधिज्ञ परिषद मे आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष स्थगन आदेश प्राप्त किया भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष प्रतिपक्षी द्वारा की गई अपील 13-12-1986 को निरस्त हो गई जो निम्नलिखित थी

"इसलिए श्री प्रीतमपाल सिंह जी ने दिल्ली विधिज्ञ परिषद मे एक परिवार मे एक परिवाद दायर किया था कि प्रतिपक्षी प्रीतमपाल सिंह 16-9-1986 से 16-9-1989 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये एडवोकेट रूप मे विधि व्यवसाय से निलंबित किया।

अपीलार्थी शार्दुल सिंह ने दिल्ली विधिज्ञ परिषद मे एक परिवार दायर किया था प्रतिपक्षी प्रीतम सिंह 16-9-1986 से 16-9-1986 तक निलंबित किये जाने के बावजूद भारतीय विधिज्ञ परिषद के आदेश का उल्लंघन करके अधिसूचना

Teacher Sign. ....

जारी होने के बाद भी विधि वृत्तिक कर रहा है। इस प्रकार उसने दुबारा वृत्तिक दुराचार किया है। और वह दण्ड किये जाने के योग्य है। अपीलार्थी ने प्रथम प्रतिपक्षी को दिये दण्ड से असंतुष्ट होकर भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष अपील फाइल किया भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह निर्णय किया कि राज्य विधिज्ञ परिषद के समक्ष निष्कर्षों के लिये साक्ष्यों का समर्थन था कि प्रतिपक्षी अपने दण्ड के सम्बन्ध मे तथ्यों छिपाने का दोषी था जब उसने अपने नामांकन करना था तथा उसे निलंबन के बावजूद दूसरे भिन्न नाम पी० एस० भगात के नाम से विधि वृत्ति कर रहा था। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने दण्ड मात्रा के विषय मे विचार किया और अनुभव किया कि प्रतिपक्षी ने केवल सिडकी मात का दण्ड देकर छोड दिया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष →

उच्चतम न्यायालय ने धारणा किया कि सभी चार मामले मे श्रीमती सविता सिंह से सम्बन्धित है जिस पर प्रीतम सिंह ने अपने निलम्बन के दौरान वकालात नामा पर हस्ताक्षर किये है, इसलिये भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा उस उस उदाहरण मानना सही है। पुनर्विलोकन के मामले मे भारतीय विधिज्ञ परिषद मे केवल एक मामले मे प्रतिपक्षी को दोषी ठहराया है। जबकि सविता जी से

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धित चार मामले मे जिसमे प्रतिपक्षी ने उस अवधि मे वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया था उच्चतम न्यायालय ने धारणा किया कि प्रतिपक्षी का अवचार बहुत गम्भीर था और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रारम्भिक स्थिति मे तीन वर्ष को प्रतिपक्षी को किया गया निलम्बन न्यायोचित था परन्तु अपने पुनर्विलोकन आदेश मे भारतीय विधिज्ञ परिषद का निर्णय पूर्णतया आकस्मिक तथा असंतोष जनक था।

निर्णय :-

उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा पारित पुनर्विलोकन आदेश निरस्त किया गया है और उनके द्वारा पुनर्विलोकन आदेश के पूर्व का निर्णय कायम रखा जायेगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश दिया कि दिल्ली परिषद को चाहिये कि वह प्रतिपक्षी के विरुद्ध तीन वर्ष के निलम्बन का आदेश जारी करे और निर्धारित रीति से उस आदेश का प्रकाशन करें और उसकी व्यक्तिगत तामील प्रतिपक्षी को कराये।

CASE 2: Re: NANDLAL V/S BALWANT

FACTS :- 26 फरवरी 1999 की सुबह जब न्यायालय की कार्यवाही चल रही थी जो नन्दलाल बसवानी जिसने वह दावा किया है कि वह बुम्बई बार एसोसियेशन 1995 से नामांकित है। उच्चतम न्यायालय आया और खुले न्यायालय मे चिल्लाने लगा तथा न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका और उसके बाद न्यायालय की कार्यवाही मे बाधा उत्पन्न किया उसे सूचित किया गया कि उसका वह कृत्य न्यायालय की कार्यवाही मे बाधा उत्पन्न माना जायेगा। और न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही मे हस्तक्षेप करके उच्चतम न्यायालय को पूर्व अवमानना करके का था नन्दलाल बलवानी जो न्यायालय मे उपस्थित थे ने स्वीकार किया उसके विरूद्ध सभी आरोप पकड़कर सुना दिये है। और वह अपने उनको समझौता है। उसका बयान था कि उसको उसने हलफनामा किया है। अवमान कर्ता से जब पूछा गया कि उसे अपने प्रतिरक्षा मे आगे कुछ कहना है। तब उसने बयान दिया कि उसे अपनी प्रतिरक्षा मे कुछ नही कहना और न्यायालय से कहा कि अपने अन्तिरम शपत पत्र मे इसने विवरण दिया है। कि किस प्रकार वह पुलिस निकायो द्वारा अभियोजित किया गया।

उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष ⇒

न्यायालय ने धारण किया कि अधिवक्ता अधि० 1961 की धारा 14 के अनुसार जब उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत होता है। कि उसकी उपस्थिति या सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति ने न्यायालय का अपमान किया है तो न्यायालय उसे हिरासत लेगा और न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने तक व इसके पूर्व किसी समय उसको उसके विरुद्ध आरोपो की सूचना देना और उसे उसे अपनी अपनी प्रतिरक्षा के लिये अवसर देना उसे दण्ड देना अथवा मुक्त करने का आदेश इसके उपरान्त दिया जायेगा।

निर्णय:

कारित करते गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत करते हुये अपमान कर्ता पर उतोत्साहित करने वाला दण्ड आरोपित किया जाता है। जिससे यह दूसरे के लिए एक उदाहरण हो सके। जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसे लिप्त न हो। न्यायालय ने अपमानकर्ता पर चार माह का कारावास तथा दो हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया और यह भी व्यवस्था दी गयी कि यदि अर्थ दण्ड अदा नही किया तो उसे २ माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

CASE 3: L.V. Goyal V/S Nawal Kishor ⇒

FACTS: अपीलार्थी एल. पी. गोयल उच्चतम न्यायालय

Scanned with OKEN Scanner

के अभिलेख पर एक अधिवक्ता के रूप मे नामांकित था। उन्हे एक व्यक्ति नवल किशोर ने उच्चतम न्यायालय मे विशेष इजाजत याचिका दायर करने के लिए नियुक्त किया था अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय ने विशेष इजाजत याचिका दायर की थी। और न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी को नोटिस जारी करने का आरोप लगा था कि इसके उपरान्त उसने बलराम नामक व्यक्ति को अपने को श्री एल वी गोयल अधिवक्ता का निजि सचिव बताता था इसके उपरान्त परिवादी ने उच्चतम न्यायालय के निबन्धात्मक को एक प्रार्थना पत्र तथा दो हजार रुपये का उसके द्वारा दिया गया रसीद प्रस्तुत करें। परिवादी का पत्र पाने के उपरान्त उच्चतम न्यायालय के सहायक द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी को एक पत्र भेजकर मिल से वर्णन किया गया। कि उच्चतम न्यायालय के निबन्ध कार्यालय द्वारा दो हजार रुपये जमा करने का विवरण दिया गया है।

इस पत्र के अनुसार उत्तर मे अपीलार्थी ने बताया कि इसकी मकान मालिक द्वारा इसके निवास से उन कागलो का अधिरूप से बलपूर्वक लिया गया अथवा उनकी चोरी हो गयी उच्चतम न्यायालय के निबन्धात्मक ने राज्य विधिक परिषद को सूचित किया गया कि सम्बन्धित अधिवक्ता श्री एल वी गोयल ने उस रसीद को तैयार करके परिवादी को दिया था। जब कोई धनराशि न्यायालय मे परिवादी के नाम से जमा की गई भारतीय विधिक परिषद के समक्ष

Scanned with OKEN Scanner

विचारण के लिये अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा (36) के अधीन हस्तान्तरित कर दिया। भारतीय विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति ने अपीलार्थी का प्रतिपक्षी कथा पृथ करने का अपीलार्थी की सुनवाई किया और आपाक्षित आदेश उपास्त अपीलार्थी की सुनवाई किया और आपाक्षित आदेश प्राप्त किया जिसमे निम्नलिखित परिस्थितियां पायी गयी।

(1) प्रथमगत रसीद कूट रचित दस्तावेजो है।

(2) नवल किशोर का वह बयान कि उसने अपीलार्थी के निजी सहायक बलराम के पत्र लिखने पर दो हजार रुपया अपीलार्थी को दिया था स्वीकार करने योग्य है।

(3) यह कि बलराम, नवल किशोर का पेशगार है। स्वीकार नही किया जा सकता क्योंकि नवल किशोर ने इसे इन्कार कर दिया है। अपने पत्र मे नवल किशोर ने अपीलार्थी को निजि सहायक रहा है।

(4) ~~नवल किशोर ने संशकित होकर अपीलार्थी द्वारा दिये गये रसीद को अधिवक्ता रूम के गर्ग को दिखवाया।~~

(4) नवल किशोर ने सशंकित होकर अपीलार्थी द्वारा दिये गये रसीद को अधिवक्ता रूम के गर्ग को दिखवाया।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति ने इस सम्बन्ध मे नि० लि० अवलोकन किया।

(क) जब निन्दक ने अपीलार्थी से पूछा तो उसने धनराशि से इन्कार किया अपितु उच्चतम न्यायालय अभिलेख देखने को कहा। न्यायालय के अधिवक्ता के रूप मे उसे इस आरोप का खण्डन करना चाहिये था। यदि उसने धनराशि नही प्राप्त किया था और यह कि उसने नवलकिशोर को रसीद नही दिया था।

उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष ⇒

~~उच्च~~ उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील के समर्थन मे सुनवाई प्रा. किया, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि परिवार के पास दो हजार रुपये नही था, इसलिए परिवादी का यह कथन कि उससे उसे दो हजार रुपये दिया था स्वीकार नही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने वरवादी के बयान पर विचारण किया, और यह पाया कि उसका कथन सत्य है। न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद की प्रशासनिक समिति के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिये गये साक्ष्य से असहमती प्रकट की।

द्वारा यह कथन कि उसने अपने भाई कमल किशोर को दो हजार रुपये उधार लेकर अधिवक्ता को दिया था।

को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिपक्षी ने परिवादी के इसे कथन की सहायता का प्रश्न अपीलार्थी का यह कथन कि उसे बलराम से कोई मतलब नहीं है। स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि बलराम ने उसके पत्र बोर्ड पर परिवादी को चिट्ठी लिखी थी। जिसमे बलराम ने अपने को अधिवक्ता एल. वी. गोयल का निजी सहायक लिखा था इसलिए परिवाद का बयान अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। इन परिस्थितियों मे न्यायालय का भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अनुशासन समिति के निष्कर्षों से कोई असहमति नहीं है।

निर्णय ⇒

श्री एल. पी. गोयल अधिवक्ता की अपील खारिज कर दी गई।

Scanned with OKEN Scanner

Case 5 :
UP. Sale Tax ~~Tay~~ Service Association v/s Taxation Bar Ass. Agra :

FACTS : यह विशेष रिट याचिका उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 139 (क)(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। इस वाद मे 8 सितम्बर 1993 को रमेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दो अन्य व्यक्तियो के साथ तृतीय प्रत्यार्थी सन्तीप्रिय अपीलित प्राधिकारियो से उनके कक्ष मे मिले और उन पर अपने अपीलित प्राधिकार के कार्यो मे अवैध रूप से घूस माँगने का आरोप लगाया और कहा कि इससे अधिवक्ताओ तथा मुवक्किलो से असंतोष फैल रहा है।

आरोप का प्रत्यारोप लगाये गये और एक दूसरे अपशब्द भी कहे गये।
इसके परिणाम स्वरूप हिंसा भी भड़क गई। प्रथम प्रत्यार्थी मे जिला मजिस्ट्रेट को एक और प्रत्यार्थी सन्तोषन को ड्यूटी पर था, और मजिस्ट्रेट ने यह प्रत्यक्षी को ड्यूटी के आवेदन पत्र देकर कि अधिवक्ता के द्वारा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तृतीय प्रत्यार्थी सन्तोषन को ड्यूटी पर चले जाने अपनी हड़ताल वापस लेवे।

(अ) उच्च न्यायालय ने यूपी सेल्स टैक्स अधिनियम धारा 9 के अन्तर्गत तृतीय प्रत्यार्थी को अपनी अधिकारिता मे कार्य करने से रोकना का आदेश दिया कि तृतीय प्रत्यार्थी सन्ताहीन के समक्ष लम्बित मामलो की दूसरे न्यायालय मे हस्तान्तरित कर दें। अधिकारियो का अपना प्रतिनिधि मण्डल सेवामेजा। उन्होने राज्य के महाधिवक्ता से तृतीय प्रत्यार्थी सन्ताहीन को यू॰पी॰ सेल्स अधिनियम की धारा 4 के अधीन डिप्टी कमीशनर को रूप मे कार्य करने के लिए रोकने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का आदेश प्रार्थना पत्र का उच्च न्यायालय मे इस सम्बन्ध मे आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्च न्यायालय मे चिनौती दी गयी।

निष्कर्ष ⇒

इस वाद मे उच्च न्यायालय ने धारण किया कि सम्बन्धित अधिकारी की ईमानदारी को उसके सरकारी सेवा अभिलेख को दृष्टि मे रखकर और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप के न होने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तृतीय प्रत्यार्थी अधिवक्ताओ के दबाव मे आकर झुकने वाला व्यक्ति नही था इसलिए अधिवक्तागण उससे असंतुष्ट हो गये थे। इस वाद मे सम्बन्धित अधिवक्ता अपने लाइसेंस रिवोल्वर को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बहाने से प्रयोग कर रहा था जिससे वह अपनी सुरक्षा मे किसी को भी निशाना बना

सके उच्चतम न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि अधिवक्ता द्वारा न्यायकक्ष मे लाना उसकी विधिवृत्त की प्रतिष्ठा के विरुद्ध उपयुक्त नही है।

यह विधि वृत्ति का प्रतिष्ठा बनाये रखने मे उपयुक्त नही है।

इसकी महत्वपूर्ण विधि वृत्ति प्रतिष्ठा बनाये रखे।

Scanned with OKEN Scanner

Case 6:
A Advocate V/S V.V turdass & Brossion

FACTS : यह वाद 30.09 क ख की वसूली संबंधित था परिवादी ने अपना पक्षपात्र अपीलार्थी को सुपुर्द किया था जिसे उसने अपने कनिष्ट अधिवक्ता जो उसके कार्यालय से सम्बन्ध था कि सुपुर्द कर दिया था जब वह वापस ले लिया गया उस समय प्रत्यार्थी न० २ अपना अलग कार्यालय स्थापित करके स्वतन्त्र रूप से विधि वृत्ति कर रहा था पक्षपात्र फाइल ऊपर अपीलार्थी एक पृष्ठांकन किया था कि वह वाद मे समझौता होने से वापस ले लिया जाय।

इस वाद मे पिटिशनर ने बयान दिया कि अपने इस मामले को प्रत्यार्थी न०२ को इस अनतराज से रू० 30,०० रूपये की वसूली के लिये सुपुर्द किया था उन्होने यह भी बयान दिया कि यह वाद प्रथम प्रत्यार्थी को फाइल आदेश दिया था उसने यह बयान दिया मे कोई समझौता होने से वापस ले लिया जाये।

इस वाद में पिटीशनर ने बयान दिया कि अपने इस मामले को प्रत्यर्थी न० २ को इस हेतराज से रु० 30,000 की वसूली के लिए सुपर्द किया था।
पिटीशनर ने यह भी बयान दिया कि यह वाद प्रथम प्रत्यर्थी को फाइल करने का आदेश दिया था।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

उसने यह बयान दिया मैं कोई भी समझौता होने से वाद वापस ले लूंगा। और प्रथम प्रत्यर्थी ने बिना उसकी अनुमति के निरस्ति के 10 दिन के भीतर वाद स्थापित किया पिटीशनर ने बयान दिया कि उसने न तो वाद की रकम प्राप्त की है और नही कोई फीस वापिस पायी है। उसने न्यायालय के बाहर मुकदमे के समझौते की जानकारी भी नही है।

अपील के अंतर्गत भारतीय विधि परिषद की प्राथमिक समिति ने निम्न प्रश्न के निर्धारण का मामला उठाया।

(1) प्रश्नगत सुपर्द किया था क्या अपीलार्थी को परिवादी द्वारा प्रश्न-पत्र सौंपा गया था।

(2) क्या समझौते की सूचना परिवादी के आज्ञा देने पर की थी।

(3) समझौते की सूचना देने पर तथा परिवादी की आज्ञा देने के लिए कौनसा व्यक्ति जिम्मेदार था।

(4) क्या अपीलार्थी के विरुद्ध वृतिक अवचार का दोष सिद्ध करने के लिए विशिष्ट आरोपों की प्रकृति तथा उसका सार तैयार किया जाना चाहिए था।

(5) क्या प्रसाशनिक समति के मस्तिस्क में इन आरोपों को आवश्यकता तथा शंका का लाभ देने की बात दोष सिद्ध करने का दण्ड निर्धारित करने के साक्ष्य मौजूद थे।

(6) क्या अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप निर्धारित किये बिना उसके विरुद्ध बेइमानी साबित हुए बिना उसे वृतिक अवचार के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता था। यद्यपि न्यायालय में उसने ऐसे व्यक्ति की आज्ञा पर कार्य किया था जो अपने मुवक्किल के निश्चित कार्य को करने में प्रथा की कमी थी। अर्थात वह उन गैर अपराधिक उपेक्षा या वृतिक अवचार से सम्बंधित था।

न्यायालय का निष्कर्ष :

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को यह जानने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था कि उसके ऊपर वृतिक अवचार का क्या दोष था। जिसका उसने खण्डन किया था। भारतीय विधि परिषद की प्रशासनिक समति के निष्कर्ष को यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को दिये जाने वाले सूचना तथा तथ्यों की शंका पर प्रशासनिक समति ने न तो यह संस्थापित किया कि

P.T.O.

Teacher Sign. ....

DATE : ...../...../..........
PAGE : ....(52).........

क्या अभिलार्थी सद्भाव में दुर्भाव में कार्य कर रहा था। और क्या अभिलार्थी कुटिल या बेईमानी से कार्य कर रहा था। साथ ही प्रशासनिक समिति ने अभिलार्थी के उचित अवन्चार के लिए दण्ड की सजा पर विचार किया था। और न ही स्पष्ट रूप में उचित अवन्चार का निर्धारित ही किया था। इसलिए प्रशासनिक समिति का अपेक्षित आदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Teacher Sign ....

निर्णय (jugment)

उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकृति प्रदान की और भारतीय विधि परिषद के आदेश को निरस्त कर दिया।

यह मामला भारतीय विधि परिषद को नये सिरे से निर्धारित करने के लिए सौंप दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

Case No. 7.

Chandra Shankar v/s Rajasthan Bar Council & others

Facts :-

यह अपील भारतीय विधि परिषद की प्रशासनिक समिति के आदेश के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के अधीन उच्चतम न्यायालय में संस्थित की गई। इस वाद में भारतीय विधि परिषद ने जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 (ग) के अधीन धृतक आचार के लिए दोषी पाये जाने से तीन वर्ष के लिए विधि वृत्तिक से कर दिया गया था। इस वाद में परिवादी भाटिया तथा उसकी पत्नी श्रीमती गीता के ऊपर प्रहार किया गया था। और उन्हें सिर पर चोटें आयी थीं। इन दोनों की डॉक्टरी जाँच डॉ० रमन वर्मा द्वारा की गई थी और उसने उन्हें डॉ० मंगल शर्मा रेडियोलॉजिस्ट के पास निर्देशित किया। डॉ० मंगल शर्मा ने उनकी रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफीसर के पास भेज दीं।
परिवादी भाटिया की एक्सरे रिपोर्ट में कोई असामान्य बात नहीं पायी गई।

परन्तु श्रीमती गीता के एक्सरे रिपोर्ट में उसके खोपड़ी के टूटे की अभिव्यक्ति की। और यह सूचना दी गई कि उसे अन्य विशेषज्ञ को निर्देशित किया था। अपीलार्थी परिवादी के पास डा० शर्मा रिपोर्ट को साथ लेकर गया। उसने कहा कि यदि उसे वह अपना अधिवक्ता नियुक्त कर ले तो वह अपने अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त कर लेगा। तथा अपीलार्थी ने परिवादी को एक पत्र जिसमें निम्नलिखित विवरण थे डा० शर्मा के पास भेज दिया।

निर्णय (jagment) (jajment)

उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी को वृत्तिक अवचार के लिए विधि वृत्ति के एक वर्ष के लिए निलम्बन का दण्ड अधिरोपित किया।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

निष्कर्ष :-

इस वाद में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के गुजरात अपील के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधि परिषद को राज्य विधि परिषद के निष्कर्षों के समान स्वरूप पर आधारित किया। मामले की प्रचलित तथा तथ्यों के आधार पर कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए भारतीय विधि परिषद को प्रशासनिक समिति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

DATE : ..../..../..........
PAGE : 57

Case N. 1)

V.C. Rama Dauri V/s D. Gopalan & others.

Facts :-

यह अपील भारतीय विधि परिषद की प्रशासनिक समति के आदेश के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 38 के अधीन उच्चतम न्यायालय मे की गई। भारतीय विधि परिषद की प्रशासनिक समति ने राज्य विधि परिषद द्वारा अपीलार्थी को व्यवसायिक अवचार के लिए दोषी पाया था। और उसे विधि वृत्ति के लिए निलंबित कर दिया था। परन्तु भारतीय विधि परिषद ने निलम्बन की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दिया था।

अपीलार्थी ने एक वचन-पत्र के आधार पर एक वाद फाइल किया और उसमें कहा कि अपुक्त न्यायालय मे इनका प्रतिनिधित्व करे परन्तु कभी किसी दूसरे वचन-पत्र के आधार पर वाद फाइल नहीं किया। अपीलार्थी ने प्रतिवादी को गलत सूचना दिया था। कि दोनों वाद फाइल किये गये है। और न्यायालय के समक्ष लम्बित है। वास्तव मे न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं हुई थी

P.T.O.

Teacher Sign. ....

DATE : ...../...../..........
PAGE : ....59....

अपीलार्थी ने अभिकथन किया कि उसने वाद पत्रों को तैयार किया था। राज्य विधि परिषद ने ऐसे गंभीर वृत्तिक अवचार के मामले में अपीलार्थी को विधि वृत्ति से निष्कासन का दण्ड दिया था।
परन्तु उसके वृत्तिक अवचार के कारण उल्लिख नहीं किये।

निर्णय :-

उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज करदी और भारतीय विधि परिषद द्वारा लागू किये गये 1 वर्ष के अपीलार्थी पर विधि वृत्ति से निलम्बन के दण्ड को कायम रखा।

Teacher Sign. ....

निष्कर्ष :-

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभि-धारण किया कि अधिवक्ता अधिनियम -1961 की धारा 30 के अधीन अपील में न्यायालय सामान्यतः राज्य विधि परिषद् तथा भारतीय विधि परिषद के निष्कर्षों से हस्तक्षेप नहीं करता। क्योंकि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण धारण करना संभव है जब तक कि निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित न हो अथवा वह केवल अनुमान पर ही आधारित है।

Scanned with OKEN Scanner

Case N° 9.

Bhupendra Kumar v/s
Bar Association Rothak & oth

Facts :-

यह मामला अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवसायिक दुराचरण का है।
इस मामले में स्टेट बार काउंसिल की नामावली में क्रम संख्या 077/94 के रूप में स्टेट बार काउंसिल की नामावली में अंकित है स्टेट बार काउंसिल की नामवली की प्रति अपीलार्थी बार एसोसिएशन में अपीलार्थी के विरुद्ध दुराचरण का एक लिखित आरोप स्टेट बार काउंसिल के समक्ष फाइल किया आरोप में कहा गया कि अपीलार्थी व्यवसायिक दुराचरण का दोषी है।

यह है कि न्यायालय परिसर में एक फोटो कॉपी सैंटर चला रहा था।
जो कि विकलांगता के आधार पर प्रदान की गई।

वह S.T.D. / P.C.O. बूथ भी चला रहा था।
जो कि दूर संचार द्वारा विकलांगता के आधार पर उसको प्रदान की गई।

(3) वह पंजाब कोल का मालिक तथा जनरल मैनेजर था।
अपीलार्थी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि यह सत्य है कि उपरोक्त कारोबार वह अधिवक्ता (Advocate) के रूप में नामांकित होने के बाद से नहीं चला रहा है।

उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कहा कि अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र दिया था जिसमें कहा गया कि अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बाद वह फ़ोटोकॉपी सेन्टर या अन्य व्यवसाय नहीं कर रहा था।
उच्चतम न्यायालय ने पठान कोर्ट में इस उपबंध के सम्बंध में रिपोर्ट मांगी। उपबंधित पठान कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा दिये गये तथ्यों का समर्थन किया है।
उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलाधीन दोनों आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है।
उसमें संशोधन करते हुए अपीलार्थी अधिवक्ता को दिसम्बर 2006 तक के लिए वकालत का व्यवसाय न करने का आदेश दिया जाता है।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

DATE : ...../...../..........
PAGE : ....62..........

निष्कर्ष :

यदि कोई अधिवक्ता या अभिभावक किसी अन्य व्यवसाय को चलाता है तो वह अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत दुराचरण का दोषी माना जायेगा।

Facts: —

यह मामला अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवसायिक दुराचरण पर आधारित है।
मामले में अपीलार्थी उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में मई 1982 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुआ था।
तथा तभी से वकालत चला रहा था।
अपीलार्थी मुख्यतः लखीमपुर खीरी के न्यायालय में वकालत करता था।

प्रतिवादी वैजू ने अपीलार्थी को अपने एक भूमि अर्जन के मामले में अधिवक्ता नियुक्त किया था।
यह मामला प्रतिकर का था। न्यायालय ने वैजू के पक्ष में 8,128/- रु० का प्रतिकर पारित किया जिसको वैजू के अभिभावक हरीश चन्द तिवारी ने ही न्यायालय से प्राप्त किया।
दिनांक 03-09-1998 को स्टेट बार काउंसिल की अनुशासन समिति के समक्ष एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लिखत किया गया कि वादी वैजू अपनी शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।
तथा वापिस लेना चाहता है।

P.T.O.

Teacher Sign. ....

क्योंकि उसके अभिभावक के आगे एक समझौता करार हो गया है।

अनुशासन समिति उक्त शपथ-पत्र पर कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं थी। अतः समिति उक्त शपथ-पत्र कार्यवाही करने को तैयार नहीं थी।

अतः समिति ने बैजू को स्वयं उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। अपीलार्थी ने उक्त मुआवजा प्राप्त करने की सूचना अपने मुवक्किल बैजू को नहीं दी। लम्बे समय के बाद जब बैजू ने अपने मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि उक्त राशि को उसके अधिवक्ता द्वारा ही प्राप्त कर लिया गया है।

बैजू ने इसकी शिकायत बार काउंसिल में की। दिनांक 12-07-1987 को अपीलार्थी ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सच है कि बैजू की शिकायत की बैजू द्वारा उसे मामले के लिए नियुक्त किया गया था तथा यह भी सच है कि मुआवजे की राशि को उसने ही प्राप्त किया परन्तु प्राप्त मुआवजे की राशि ~~को~~ में से उसने अपने अपीलार्थी से अपनी फीस को काटते हुए शेष राशि बैजू को ही लौटा दी थी।

Teacher Sign. ....

अनुशासन समिति ने सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना की तथा अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 03-8-1998 को शपथ-पत्र को देते हुए कथा कि प्रतिवादी एक धोखेबाज व्यक्ति है समिति ने कथा कि प्रतिवादी ने एक गरीब व्यक्ति को धोखा दिया तथा उपस्थित होने के लिए समन जारी किया।
बैजू ने उक्त शपथ-पत्र को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या ऐसा अधिवक्ता जिसने अपने मुवक्किल को प्राप्त होने वाली राशि को प्राप्त किया है? जो कि व्यवसायिक दुराचरण में आता है।
यदि आता है तो उसके लिए क्या दण्ड होना चाहिए।
इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 38 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

Teacher Sign. ....

Scanned with OKEN Scanner

उच्चतम न्यायालय का निर्णय :-

~~उच्च~~
उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों की विवेचना करते हुए कथा कि एक अधिवक्ता जो बिना पढ़े लिखे गरीब पक्षकार को प्राप्त होने वाले मुआवजे की राशि को प्राप्त करता है।
11 वर्षों तक एक पाई भी उसे नहीं देता ऐसा कहीं नहीं उसके बाद शिकायत पर एक गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है।
वकालात के व्यवसाय में यह एक गंभीर अपराध है।

यह एक ऐसा व्यवसायिक दुराचरण है जो कि विधिक ~~व्यवसायी~~ (व्यवसाय) को कलंकित करता है।

उच्चतम न्यायालय ने आगे कथा कि व्यवसायिक दुराचरण के लिए बार काउंसिल अधिवक्ता को तीन प्रकार से दण्डित कर सकती है।

(i) अधिवक्ता को डांटना-फटकारना

(ii) अधिवक्ता को व्यवसाय से उचित समय के लिए वंचित करना।

(iii) अधिवक्ता का नाम उस राज्य की अधिवक्ता नामावली से निकाल देना।

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक दुराचरण में अपने मुवक्किल की राशि का दुरुपयोग विधि व्यवसाय में सबसे गंभीर अपराध है। जिसके लिए गंभीर दण्ड भी दिया जाना चाहिए।
जिससे कि और लोगों को सबक मिले।
उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी का नाम अधिवक्ता नामावली से हटाने का आदेश देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उपचार देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

निष्कर्ष :

इस वाद में उच्चतम न्यायाल ने अभिनिर्धारित किया कि मुवक्किल की राशि का दुर्विनियोग विधिक व्यवसाय में सबसे गंभीर दुराचरण है जिसके लिए गंभीर दण्ड दिया जाना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner